प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27376/प्रो(6)/240 (शिक्षक दिवस-24), दिनांक 06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, ग्राम-मो0 तीरथ, कस्बा व थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.11.2005 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल पम्प को सील करने की रंजिश को लेकर रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स आफिसर, इंडियन आयल कारपोरेशन, मंजूनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201, 120बी व 30 ए.एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.06.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा पेट्रोल पम्प को सील करने की रंजिश को लेकर इंडियन आयल कारपोरेशन के सेल्स आफिसर, मंजूनाथ की हत्या व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर समग्र समाज के विरूद्ध किया गया जघन्य अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल (बन्दी सं0-48545) पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-776/2025/1452(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।